भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2121

उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2025

ग्रामीण डाक सेवक

2121. श्री सुनील कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देशभर में कार्यरत डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को अतिरिक्त विभागीय (ईडी) कर्मचारियों को विभाग के नियमित कर्मचारी के तौर पर मान्यता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की भविष्य में ऐसे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाए जाने या उनके मानदेय में वृद्धि किए जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) का नियोजन संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा शासित नहीं है। फिलहाल, जीडीएस कार्मिकों को नियमित कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने या उन्हें स्थायी किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्हें प्रदान किए जाने वाले भत्तों एवं सेवा शर्तों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और इन्हें, समय-समय पर, डाक विभाग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित किया जाता है।

*****